क्रम-संख्या—229

रजि० नं० एल. डब्लू./एन. पी. 861
लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०—41
लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 15 मार्च, 1990

फाल्गुन 24, 1911 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

चीनी उद्योग अनुभाग—2

संख्या 667एस०सी०/18-6-71-88

लखनऊ, 15 मार्च, 1990

अधिसूचना

सा०प०नि०—9

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966) की धारा 122 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना संख्या-यू०ओ० 402 (II)/12-सी-1-76 दिनांक 6 अगस्त, 1977 में गठित प्राधिकारी, एतद्द्वारा, राज्य सरकार के अनुमोदन से, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनियमावली में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं :—

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड कर्मचारी सेवा (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 1990

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड कर्मचारी सेवा (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 1990 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

विनियम 21 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनियमावली, 1988 में, विनियम 21 में, नीचे स्तम्भ—1 में दिये गये वर्तमान उप-विनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपविनियम रख दिया जायगा, अर्थात्:-

स्तम्भ—1	स्तम्भ—2
वर्तमान उपविनियम (1)	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपविनियम (1)
(1) कर्मचारी 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवा-निवृत्त होगा।	(1) कर्मचारी 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवा-निवृत्त होगा :
परन्तु किसी कलेण्डर माह के प्रथम दिनांक से भिन्न किसी दिनांक को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर कर्मचारी उस माह के अंतिम दिन को सेवा निवृत्त होगा।	परन्तु किसी कलण्डर माह के प्रथम दिनांक से भिन्न किसी दिनांक को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर कर्मचारी उस माह के अन्तिम दिन को सेवा निवृत्त होगा। :
	परन्तु यह और कि नियुक्ति प्राधिकारी, किसी भी समय, किसी कर्मचारी को (चाहे वह अस्थायी हो अथवा स्थायी) तीन मास की नोटिस देकर अथवा उसके बदले में तीन मास का वेतन देकर बिना कोई कारण बताए, उसके पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् सेवा-निवृत्त हो जाने की अपेक्षा कर सकता है अथवा ऐसा कर्मचारी पैंतालीस वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् या संघ के अधिष्ठान के अधीन बीस वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के पश्चात् किसी भी समय, नियुक्ति प्राधिकारी को तीन मास की नोटिस देकर स्वेच्छया सेवा निवृत्त हो सकता है।

आज्ञा से,

अखण्ड प्रताप सिंह,

सचिव,

चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग

तथा

प्राधिकारी

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ

लिमिटेड, लखनऊ।